FORM NO.III
फ़र्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :-- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः— बनाम रेस्पोडेन्ट :—

श्री खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी शिकारपुरा, तहसील लूणी जिला जोधपुर

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 102/2019
R.C.M.S. No. --2019/00263
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/9/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 27/9/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	1435-36 16/9/19
27/9/19	पी. ओ. सा. बाहर पधारे है। पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 11/10/19 को पेश हो।	
11-10-19	लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपी० का प्रार्थना पत्र RTI की धारा 6(3) के तहत प्रार्थना पत्र तह० सोजत को स्थानान्तरित कर दिया है वहां से मोबाईल से वार्ता करने पर समय चाहा है जिस आकर पत्रावली पालना के इन्तजार मे दिनांक 25/10/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	
25/10/19	पत्रावली आज पेश हुई। यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना के अधिकार अधि० 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अपीलांट द्वारा वांछित सूचना तहसीलदार सोजत से सम्बन्धित होने से उनको सूचना के अधिकार अधि०. 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित कर अपी० को तह० सोजत से सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया है। सूचना लोक सूचना अधि० अति कलक्टर पाली से सम्बन्धित नही होने से इस अपील मे किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली शुमार फैसला की जाकर इस न्यायालय से नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर, पाली	